न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 33/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग
एफबीओ मैसर्सः—पंकज ट्रेडर्स, सराफा बाजार महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 08.05.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 24.02.2023 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स पंकज ट्रेडर्स, सराफा बाजार महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय दुकान के काउन्टर पर 500 ग्राम की पैकिंग में 40 पैकेट मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैकेट मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** खरीदा। जिसकी कीमत 200 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** के चार पैकिटों को चार गत्ते के डिब्बों में रखा एवं चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**–3208 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 27.02.2023 को खाद्य विश्लेषक राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बा व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.02.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.02.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /204/एक्ट/2023/226 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त नियत तारीख पेशी पर स्वयं उपस्थित आया व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./204/एक्ट/2023/226 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** के नमूने के लेबल पर **Batch No., Packed on, Manufactured & Packed by, FSSAI Lic No.** से सम्बन्धित जानकारी अंकित नहीं होने **(Not Labelled)** के कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **FS&S(Labelling & Display) Regulation 2020** के विनियम संख्या **2.5(6), 2.5(7), 2.5(9) & 2.5(10)** का उल्लंघन होने के कारण **FS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)**(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि हमारी फर्म का निरीक्षण के दौरान जो सैम्पल लिया गया था जो जांच के दौरान सही पाया गया है, लेकिन उक्त दाल के पैकिट की पैकिंग हमारे द्वारा की गई थी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी व सुविधा के अनुसार पैकिंग की गई थी, जिस पर मोल भाव व पैकिंग डेट नहीं थी। मैं प्रार्थी अब भविष्य में विभाग के सभी नियमों का समय–समय पर पालन करूंगा, जो भी विभाग द्वारा निर्देश दिये जावेंगे उसी पर कार्य करूंगा तथा भविष्य में स्वयं की पैकिंग में माल बेचान नहीं करूंगा। प्रार्थी के खिलाफ की गई कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./204/एक्ट/2023/226 दिनांक 09.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** के नमूने के लेबल **Batch No., Packed on, Manufactured & Packed by, FSSAI Lic No.** से सम्बन्धित जानकारी अंकित नहीं होने **(Not Labelled)** के कारण **FS&S(Labelling & Display) Regulation 2020** के विनियम संख्या **2.5(6), 2.5(7), 2.5(9) & 2.5(10)** का उल्लंघन होने से **FS&S Act 2006** के सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत यह खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड **(MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND)** का विक्रय कर एफएसएसए धारा 26 की उप धारा **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21.10 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 33/2023 FSSA

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड (**Misbrand**) स्तर के खाद्य पदार्थ मूंग दाल छिलका डबल आठ ब्राण्ड (**MOONG DAL CHHILKA DOUBLE EIGHT BRAND**) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग एफबीओ मैसर्सः—पंकज ट्रेडर्स, सराफा बाजार महवा जिला दौसा पर 100000/—रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 08.05.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (**Chief Medical & Health Officer Dausa**) के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ दिनांकः— 08.05.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गर्ग
   एफबीओ मैसर्सः—पंकज ट्रेडर्स, सराफा बाजार महवा जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested